



क्रमांक एफ ( ) पीडी/प.क./WPD/2020-21/109

दिनांक - 29/6/2020

## परिपत्र

### विश्व जनसंख्या दिवस - 2020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाते हुए कई कदम उठाये हैं, उनमें से प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं एक है, जो अवांछित गर्भधारण, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आवश्यक है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों व परिवार नियोजन सेवाओं की सूचना, परामर्श एवं सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान पर जोर दिया गया है। इस प्रकार विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर समुदाय को संवेदनशील बनाने तथा परिवार नियोजन सेवाओं के सुदृढ करने का एक उपयुक्त समय है।

विश्व जनसंख्या दिवस- 2020 के लिए गतिविधियां दो चरणों में संचालित की जायेगी-

प्रथम चरण	द्वितीय चरण
मोबिलाईजेशन पखवाड़ा (योग्य दम्पति सम्पर्क पखवाड़ा) (27 जून से 10 जुलाई, 2020)	जनसंख्या पखवाड़ा (जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा) (11 से 24 जुलाई 2020)

विश्व जनसंख्या दिवस - 2020 के अवसर पर पखवाड़े के दौरान होने वाली समस्त आईईसी गतिविधियां निम्न स्लोगन (Theam) की अवधारणा पर आधारित होगी-

**"आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी,  
सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी"**

मोबिलाईजेशन पखवाड़ा के दौरान सम्पादित की जाने वाली गतिविधियां (27 जून से 10 जुलाई, 2020)

1. IEC/BCC गतिविधियों को स्थानीय समाचार चैनलों, मास मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता पैदा करना सुनिश्चित करावें। परिवार नियोजन अभियान को व्यापक रूप से प्रचारित किया जावें।
2. योग्य दम्पतियों/लाभार्थियों में निम्न बिन्दुओं पर व्यापक जनजागृति पैदा की जाये-
  - सीमित परिवार के लाभ
  - विवाह की सही आयु (लड़के की 21 वर्ष एवं लड़की की 18 वर्ष)
  - विवाह के पश्चात् कम से कम दो वर्ष बाद पहला बच्चा
  - पहले एवं दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर हो
  - प्रसवोत्तर एवं गर्भपात पश्चात् परिवार कल्याण सेवाएं (PPIUCD/PAIUCD/Sterilization)
  - "अंतरा" इन्जेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव
  - पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता, आदि।

3. Containment zone and buffer Zone के अलावा अन्य स्थानों में जिला स्तर पर तथा ब्लॉक से गाँवों में परिवार नियोजन का संदेश दिये जाने हेतु मोबाईल वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा सकता है। मोबाईल वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार के समय संक्रमण से बचने के लिए भौतिक दूरी पर जोर दिया जाना चाहिए। सावधानी के साथ यह सुनिश्चित करें की कोई बड़ी सभा या भीड़ न हो।
4. ब्लॉक एवं चिकित्सा संस्थान स्तर के अधिकारियों से सूचना एवं क्षमता निर्माण के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया सकता है।
5. लाभार्थियों को अस्पताओं तक पहुंचाने के लिए कोविड-19 के संदर्भ में भौतिक दूरी और अन्य प्रोटोकॉल को समझाने के लिए ऑनलाईन आशा आमुखीकरण किया जा सकता है।
6. चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध परिवार कल्याण सेवाओं से संबंधित आईईसी का प्रदर्शन किया जावे।

### जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के दौरान सम्पादित की जाने वाली गतिविधियाँ (11 से 24 जुलाई 2020)

1. लाभार्थियों को परिवार नियोजन साधनों पर परामर्श सेवाएं प्रदान की जावे।
2. आमजन में जागरूकता हेतु सार्वजनिक स्थानों एवं चिकित्सा संस्थानों पर परिवार नियोजन सेवाओं से संबंधित बैनर एवं पोस्टर का प्रदर्शन किया जावे।
3. सभी चिकित्सा संस्थानों में परिवार नियोजन के साधनों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जावे। containment zone के अलावा अन्य स्थानों पर समुदाय में लाभार्थियों को परिवार नियोजन के साधनों को वितरित किया जा सकता है। समुदाय में गर्भनिरोधक साधनों के वितरण के दौरान सामाजिक/भौतिक दूरी के अभ्यास को अपनाया जाना सुनिश्चित करावे।
4. कण्डोम बाक्स को दैनिक/नियमित रूप से विसंक्रमित किया जावे।
5. लाभार्थियों को कण्डोम और ओसीपी के अतिरिक्त पैकेट (कम से कम 2 माह की आपूर्ति) दिया जावे ताकि लाभार्थियों के बार बार आने/सम्पर्क से बचने के लिए अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
6. अंतरा इन्जेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव और पीपीआईयूसीडी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। लाभार्थियों को गर्भनिरोधक साधनों को अपनाने के पूर्व और बाद गर्भनिरोधक से संबंधित मुख्य संदेश (Key Contraceptive Messages) प्रदान किया जाना चाहिए।
7. नसबंदी सेवाओं के लिए लाभार्थियों का पूर्व पंजीकरण (Pre Registration) किया जा सकता है।
8. क्रियाशील ओटी सहित चिकित्सा संस्थानों पर संक्रमण निवारण प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नियत दिवस सेवा (FDS) का आयोजन किया जाना चाहिए।
9. नसबंदी ऑपरेशन हेतु केसेज की संख्या के संबंध में निदेशालय के पत्रांक एफ ( ) पीडी/प.क./GOI/2020-21/34 दिनांक 26 मई, 2020 द्वारा प्रदान निर्देशों की पालना की जावे।
10. सभी चिकित्सा संस्थानों पर कैनोपी लगाकर उपलब्ध परिवार नियोजन साधनों का प्रदर्शन करें।
11. चिकित्सा संस्थानों पर परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए टेलीविजन अथवा प्रोजेक्टर द्वारा परिवार नियोजन से संबंधित क्लिप (Clips)/विडियो आदि का संचालन किया जावे।
12. गुणवर्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु Standards and Quality Assurance in Sterilization Services Manual तथा निदेशालय के परिपत्र क्रमांक एफ ( ) पीडी/प.क./QA/2018-19/842 दिनांक 12.03.2019 में प्रदान किया निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
13. जिला एवं उप जिला अस्पताओं में स्टेटिक केन्द्र पर समस्त प.क. सेवाएं प्रदान की जावे।

## अन्य गतिविधियों :-

- जिलों में परिवार कल्याण सेवाओं के लिए पंजीकृत निजी अस्पतालों/एनजीओं से पूरे पखवाड़ों के लिए सक्रिय सहयोग लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर के चिकित्सा संस्थानों पर परिवार कल्याण सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु सहयोग लिया जा सकता है।
- पंजीकृत निजी अस्पतालों/एनजीओं द्वारा अपने स्वयं के क्लीनिक, फ्रेंचाइजी क्लीनिक में या राजकीय चिकित्सा संस्थान में, जो भी सुविधाजनक हो, कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालना करते हुए पोस्टपार्टम नसबंदी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किये जा सकते हैं।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक और कार्मिकों को सम्मानित किया जा सकता है।

## परिवार नियोजन साधनों की उपलब्धता:-

- प्रत्येक संस्था प्रभारी/स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी संस्था पर तथा क्षेत्राधीन आशा के पास आवश्यक मात्रा में अन्तराल साधनों की उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई अन्तराल साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो FP-LMIS पर इन्डेण्ट कर आपूर्ति प्राप्त करेंगे। पखवाड़े के दौरान हर स्तर पर पर्याप्त मात्रा में अन्तराल साधनों की उपलब्धता की जिम्मेदारी अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) की होगी।
- परिवार नियोजन साधनों की चिकित्सा संस्थानों की आपूर्ति हेतु उपलब्ध वाहन या किराए के वाहनों का उपयोग किया जा सकता है।
- परिवार नियोजन साधनों की आपूर्ति में किसी भी व्यवधान के लिए स्थानीय कार्यवाही की आवश्यकता हो तो, जिला स्तर पर तुरन्त निवारण किया जाना चाहिए।

## जिला कलक्टर की भूमिका:-

- विश्व जनसंख्या दिवस- 2020 पखवाड़ों के दौरान यदि संभव हो तो स्थानीय माननीय लोकसभा सांसद, विधानसभा सदस्य, जिला प्रमुख, महापौर/नगरपालिका अध्यक्ष, पाषर्द एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या सभा, बैठक आदि में भौतिक दूरी, आदि नियमों की पालना के साथ आमजन को संदेश दिया जा सकता है।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्थानीय समाचार-पत्रों/रेडियों/टीवी में विज्ञापन दिए जावे।
- नेहरू युवा केन्द्रों के सहयोग से Containment and Buffer Zone के अलावा अन्य स्थानों पर जन जागृति पैदा की जा सकती है।
- चिकित्सा कर्मियों (स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आशा आदि) को विश्व जनसंख्या दिवस के सफल आयोजन हेतु निर्देशित किया जावे।

## बजट प्रावधान:-


- विश्व जनसंख्या दिवस के आयोजन हेतु निदेशालय से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ ( ) पीडी/प.क./पीआईपी/2020-21/22 दिनांक 21.05.2020 द्वारा जिला स्तर पर गतिविधियों को आयोजित करने हेतु 50000/- रुपये प्रति जिला तथा ब्लॉक स्तर पर गतिविधियों को आयोजित करने हेतु 20000/- रुपये प्रति ब्लॉक राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

## पखवाड़े की मॉनिटरिंग :-

- पखवाड़ों के दौरान प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/सुपरवाइजर स्टॉफ जैसे बीरीएमओ, एमओआईसी, एमओ, बीपीएम, एलएचवी, ब्लॉक आशा हैल्थ सुपरवाइजर व पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजर अपने क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूरभाष आदि से दैनिक मॉनिटरिंग करेंगे।


- पखवाड़ों के दौरान ब्लॉक द्वारा चिकित्सा संस्थानों से दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर जिला स्तर पर प्रेषित की जायेगी तथा जिला स्तर इकजाई रिपोर्ट राज्य स्तर को ई-मेल आईडी [projectdirector.fw@gmail.com](mailto:projectdirector.fw@gmail.com) पर प्रतिदिन प्रेषित की जायेगी।
- जिला आशा समन्वयक विश्व जनसंख्या दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में आशाओं की सहभागिता को बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर सभी ब्लॉक आशा सुपरवाइजर से विडियो कॉन्फ्रेंस/दूरभाष के माध्यम से चर्चा कर कार्ययोजना बनावें तथा ब्लॉक आशा सुपरवाइजर व पीएचसी आशा सुपरवाइजर के माध्यम से आशाओं को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु प्रेरित करें।
- जिला आईईसी समन्वयक विश्व जनसंख्या दिवस- 2020 स्थानीय समाचार चैनलों, मास मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार नियोजन के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करवाकर समाचार पत्रों की कटिंग, विडियो आदि का ई-मेल आईडी [projectdirector.fw@gmail.com](mailto:projectdirector.fw@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
 (डॉ. आर.एस. छीपी)  
 निदेशक (आरसीएच)  
 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.  
 राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, वि. शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. व मिशन निदेशक (एनएचएम)।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी)
7. संयुक्त आयुक्त एवं प्रभारी, प.क. डिवीजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एड्स।
9. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) मुख्यालय।
12. परियोजना निदेशक (प.क.), मुख्यालय।
13. उप निदेशक (प.क.), मुख्यालय।
14. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय।
15. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन।
16. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त राजस्थान।
17. अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क./स्वास्थ्य) समस्त।
18. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी समस्त।
19. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त।
20. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त।
21. जिला आशा समन्वयक/जिला आईईसी समन्वयक, एनएचएम, समस्त।
22. प्रभारी, सेन्द्रल सर्वर रूम द्वारा संबंधित को मेल वास्ते।

  
 (डॉ. गिरीश द्विवेदी)  
 परियोजना निदेशक  
 (परिवार कल्याण)



